भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 958

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

कोर्ट हॉल का निर्माण

958. श्री मारगनी भरत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधीनस्थ न्यायपालिका की अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लगभग 3,000 कोर्ट हॉलों का निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) आंध्र प्रदेश में निर्माण के लिए प्रस्तावित कोर्ट हॉलों और आवासीय इकाइयों की जिला-वार संख्या कितनी है ; और

(ग) उक्त सभी हॉलों/इकाइयों के कब तक बनकर तैयार होने और उपयोग में आने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तदायित्व राज्य सरकारों में निहित हैं । राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए संघ सरकार ने विहित की गई निधि सहभाजन रीति में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीकृत प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन किया है । स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है, इसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायिक भवनों और आवासीय निवासों के संनिर्माण आते है । स्कीम 9000 करोड़ रु. जिसके अंतर्गत 5307 करोड़ रु. का केन्द्रीय अंश शामिल है, की बजट लागत के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक विस्तारित की गई है । न्यायालय हालों और आवासिक गृह के

संनिर्माण के अतिरिक्त स्कीम में अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता हाल, डिजिटल कम्प्यूटर कमरें और प्रसाधन परिसरों के संनिर्माण भी आते हैं । कुल 3800 न्यायालय हॉलों का संनिर्माण उपर्युक्त वित्तीय लागत के अनुसार अनुमानित है ।

जैसा कि पहले ही कथित है कि स्कीम का उद्देश्य सरकारों के संसाधनों को पूरा करना है । इस स्कीम में परियोजना वार आवंटन नहीं किया गया है । तथापि, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकार्ड के अनुसार तारीख 30.06.2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के 601 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की वर्तमान स्वीकृत पद संख्या के लिए 623 न्यायालय हॉल और 599 आवासी इकाई उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त, न्याय विकास II वेब पोर्टल के अनुसार तारीख 30.06.2022 तक 99 न्यायालय हाल और 16 आवासीय इकाई निर्माणाधीन हैं । अत:, स्कीम दिशानिर्देश स्कीम के अधीन केन्द्रीय निधियों को जारी करने की ईप्सा करते हुए प्रत्येक विनिर्दिष्ट परियोजना को आरंभ करने और समाप्त करने के तरीकों को उपदर्शित करना राज्यों के आज्ञापक बनाते है ।

*****